न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 18 / 2023

प्रार्थीगण

1. डूंगरराम पुत्र श्री जोगाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास रणसी गांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।
2. श्रीमति बालूडी पत्नि स्व.गोपाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास रणसी गांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. धर्माराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी सम्बाडिया रोड रणसीगांव,बिलाडा
3. गोदाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास रणसीगांव,बिलाडा
4. शिवराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास रणसीगांव,बिलाडा
5. पिस्तादेवी पुत्री रूघाराम
6. भिदकीदेवी पुत्री रूघाराम
7. सायरीदेवी पुत्री रूघाराम जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों का बास ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री अरिहंत तातेड एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार।
अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :– 30/07/24

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वयं के खसरा नम्बर 189 ग्राम रणसी गांव में आया हुआ स्थित है और इस खसरा पर आवागमन के लिए सरकारी भूमि से होते हुए वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है न ही उस रास्ते के बाबत राजस्व रेकर्ड में अंकन ही है। इस खसरा नम्बर 189 के पडोस में अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के खसरान नम्बर आये हुए है। और रणसी गांव से खेजडला पीपाड की मुख्य सडक से अप्रार्थी सं. 1 धर्माराम के खेत तक के लिए रास्ता उपलब्ध है लेकिन उसके आगे प्रार्थीगण के खसरा सं. 189 में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इतने समय तक प्रार्थीगण आपसी समझाईश से अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के खसरान में से आवाजाही करने के साथ में खेतो के लिए फसल ले जाने व सामान ले जाने का तमाम कार्य आपसी रजामंदी से कर रहे थे। लेकिन दिनांक 28.06.2023 को अप्रार्थीगण ने स्पष्ट तौर से इस बात के लिए प्रार्थीगण को मना कर दिया कि वे अप्रार्थीगण के इन

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरान में से आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध करवायेंगे न फसल ले जाने व खेती के सामन ले जाने के लिए ही कोई रास्ता देंगे। इस बाबत प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से निवेदन भी किया लेकिन उसने रास्ते की अनुपलब्धता को देखते हुए किसी भी प्रकार की प्रार्थीगण की सहायता करने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की सहायता करने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण इस वांछित रास्ते के लिए विधि अनुसार शल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी मूल खातेदार गोपाराम पुत्र बचनाराम का दिनांक 18.05.2023 को स्वर्गवास हो चुका है। और उसके पश्चात् प्रार्थी सं. 2 के अलावा उनके कोई वारिस नहीं है। प्रार्थीगण के खसरा सं. 189 जिसका क्षेत्रफल 3.551 हैक्टयर है और वह बारानी चतुर्थ किस्म की भूमि है जिसका खाता सं. नया 291 है व पुराना 244 है, जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इस खेत के पडौस में खसरा नम्बर 190 टीकूराम पुत्र गजाराम जाति मेघवाल का खेत आया हुआ है लेकिन उसके लिए भी कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के खेत के उतर की तरफ लोक देवता रामदेवजी का मन्दिर आया हुआ है। और ग्राम रणसी की सरहद खेत के लगती हुई है। जो प्रार्थीगण के खेत के माठ से जुडी हुई है। अप्रार्थी सं. 1 वैकल्पिक तौर से उस सरहद की माठ से रास्ता उपलब्ध करवा सकता है। यदि रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो दिगर अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण रास्ते के संबंध में विवाद नहीं रहेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया वांछित रास्ता माठ की भूमि व खसरान की भूमि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को श्रीमान जी न्यायालय को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार है प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण और पिछली दिनांक 28.06.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा आपसी समझाईश से खेतों मे से होकर जा रहे मार्ग को बन्द कर दिए जाने के कारण तथा राजस्व रिकार्ड में इस संबंध में अंकन नहीं किए जाने के कारण इस रास्ते के बाबत इस प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए के पास मजबूत विधिक आधार है इस प्रकार का रास्ता चालू नहीं करने की सूरत में वर्तमान में कोई रास्ता न होने से और इस खसरान की खातेदारी अधिकार रखने वाले सभी खातेदारों को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इस रास्ते को चालू करने से अथवा राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किए जाने से अप्रार्थी को किसी भी तरह की कोई परेशानी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का सामना नहीं करना पडेगा इसके विपरीत इस रास्ते चालू नहीं करने की सूरत में तथा राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं किए जाने की सूरत में प्रार्थीगण अन्य खातेदारों को आवागमन में भारी असुविधा होगी। यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थीगण के पास अपने खेत पर आवागमन के लिए इस रास्ते के अलावा कोई ओर रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अन्तः में प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रणसी गांव से खेजडला मुख्य सडक से प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग के खातेदारी के खेत तक के लिए और इसी अनुरूप मौके पर रास्ता चालू करने के लिए विधिवत तमाम कार्यवाही की जावे। विकल्प में ग्राम रणसी गांव की सरहद से जुडती हुई प्रार्थीगण की माठ से प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जावें। अन्य उचित आदेश प्रार्थीगण के हक में हो पारित फरमाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए लेकिन अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 08.07.2024 को अप्रार्थी सं. 2 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 5 से 7 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए लेकिन अप्रार्थी सं. 5 से 7 तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 02.09.2024 को अप्रार्थी सं. 5 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार रणसी गांव में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 189 में आने जाने हेतु एक मात्र वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता के निकटतम है प्रार्थी अपने खेत में अन्य पडौसी खेतों से आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की में प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। जो मूल ही संलग्न है। प्रार्थी द्वारा वांछित भूमि असिंचित भूमि है तथा ग्राम खेजडला से रणसीगांव जाने वाली सडक पर है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी. एल.सी दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगावं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 190 व 191 में से 2 बीघा 3 बिस्वा बनता है। वांछित रास्ते की भूमि की चौडाई 26 फीट व लम्बाई 1451 फीट मौका फर्द के अनुसार है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एलसी.दर की दुगुनी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	गोदाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल सा.देह	190	1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी	1/4 हिस्सा	490995 प्रति हैक्ट	60580
2.	शिवराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल सा.देह	190	1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी	1/4 हिस्सा	490995 प्रति हैक्ट	60580
3.	पिस्तादेवी पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल सा. देह	190	1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी	1/4 हिस्सा	490995 प्रति हैक्ट	60580
4.	भिदकीदेवी पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल सा.देह	190	1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी	1/4 हिस्सा	490995 प्रति हैक्ट	60580
5.	धर्माराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल सा.देह	191	12 बिस्वा 10 बिस्वांसी	पूर्ण	490995 प्रति हैक्ट	99320
	योग		2 बीघा 3 बिस्वा			341640

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 190 व 191 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 3.1551 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 190 व 191 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 189 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव के द्वारा मौका फ़र्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 19.02.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

30/09/24
(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा